राजस्व अपील संख्या 57 / 2022
अनवान
बाबूराम बनाम तहसीलदार आऊ

दिनांक 22 –03–2022

अपीलांट अधिवक्ता श्री रोशनलाल द्वारा दिनांक 11–3–2022 को प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेश हुई । उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट के द्वारा पारित आदेश क्रमांक / प्र.ग.स. / 2021 / 24 दिनांक 17–11–2021 के के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जिसके साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलांट अधिवक्ता को दिनांक 4–3–2022 को सुना जाकर रेस्पो0 के नोटिस जारी किये एवं रेकर्ड तलब किया जाकर पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 7–4–2022 को रखी गई थी ।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र पर पक्षकारो के अधिवक्ता को सुना जाकर प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया । पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस सुनने के बाद एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी का उक्त अपील मे पक्षकार बनाने बाबत अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नाई ने प्रस्तुत किया । जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता एवं अपीलांट अधिवक्ता को सुना गया । प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का भी गहनता से अध्ययन किया जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्यिां प्राथीयाँ हरू पत्नी टीकूराम पुत्री कुम्भाराम जाति जाट निवासी खारिया तहसील आऊ को इस अपील मे रेस्पो0 संख्या 2 बनाया जाना आवश्यक समझते हुए उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थिया को अपील मे रेस्पो0 पक्षकार बनाया जाता है। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया।

प्रस्तुत अपील मे अपीलान्ट अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने हमे पक्षकार बनाये बिना, नोटिस दिये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश के जरिये हमारी खातेदारी भूमि मे से रास्ता निकाल दिया तथा अपीलांट के खातेदारी की भूमि को गै.मु.रास्ते के रूप मे दर्ज कर दिया जबकि विधि के प्रावधान अनुसार किसी भी खातेदार की खातेदारी भूमि बिना खातेदार की सहमति के तथा उसको सुने बिना खातेदारी भूमि का रकबा कम नही किया जा सकता है तथा यह भी कथन किया कि राज्य सरकार के रास्तो सम्बधी

जारी परिपत्र मे भी सुनवाई का अवसर देने के निर्देश होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधि एवं न्यायसंगत नही होने से उसे निरस्त करते हुए प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय मे रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 2 अधिवक्ता ने भी अपीलांट अधिवक्ता की बहस का समर्थन करते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये बिना प्रकरण को पक्षकारान खातेदारान को विधिवत सुनवाई का अवसर देने के बाद पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश जो ग्राम खारिया तहसील आऊ के सबंध मे पारित किये गये आदेश कमांक 24 दिनांक 17–11–2021 एव पत्रावली के साथ प्रस्तुत पत्रादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन एव अध्ययन किया। जिसके अनुसार प्रस्तुत प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो समर्थन योग्य नही माना जा सकता है।

परिणामस्वरूप अपीलान्ट की उक्त अपील आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कमांक/प्र.ग.स./2021/24 दिनांक 17–11–2021 को निरस्त किये बिना इस आशय के अतिरिक्त निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्ट, रेस्पो0 संख्या 2 एवं हितबद्ध पक्षकारो को सुनवाई का नोटिस जारी कर, उसे सुनकर उसकी उपस्थिति मे मौका निरीक्षण करे। उक्त कार्यवाही एक माह मे सम्पादित करते हुए पक्षकारान के खातेदारी की भूमि मे से रास्ते के सम्बध मे पुनः विधिसमत निर्णय पारित करे। इस अतिरिक्त निर्देश के साथ उक्त अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर